29 मई, 2020 सरकारी आदेश 2020-38

सरकारी आदेश 2020-38
(कोविड-19 सरकारी आदेश संख्या. 36)

इलिनॉय की बहाली – हमारे समुदायों का संरक्षण

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय एक ऐसी वैश्विक महामारी द्वारा उत्पन्न आपदा का सामना कर रहा है जिसने हजारों निवासियों की जान ले ली है, जो 1,00,000 से भी अधिक को संक्रमित कर चुकी है और यह आंकड़ा अभी-भी बढ़ रहा है, और जिसके कारण अभूतपूर्व रुग्णता एवं जनहानि हुई है; और,

जबकि, सारे समय पर विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय वासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड-19 (COVID-19)) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पर प्रतिक्रिया देने के चौथे माह में प्रवेश कर रहा है और यह रोग एक अभिनव, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से लोगों के बीच तेज़ी से फैल चुका है और लगातार फैल रहा है और अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रियादाताओं और सरकारों पर जो बोझ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन) ने 30 जनवरी, 2020 को कोविड-19 (COVID-19) को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था, और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य एवं मानव सेवाएं सचिव (यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ़ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेस) ने 27 जनवरी, 2020 को यह घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 (COVID-19) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल प्रस्तुत करता है; और,

जबकि, 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 प्रकोप को एक वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित किया, और अब यह पूरे विश्व में COVID-19 के 55 लाख से अधिक पुष्टिकृत मामले एवं COVID-19 के कारण 350,000 मौतों की रिपोर्ट कर चुका है; और,

जबकि, COVID-19 को रोकने के प्रयासों के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण और रोकथाम के संघीय केंद्रों (federal Centers for Disease Control and Prevention) (CDC) ने संकेत दिया कि वायरस का प्रसार जारी रहने की उम्मीद है और यह वास्तव में तेजी से फैलता रहा, जिसके परिणामस्वरूप संघीय और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

जबकि, 9 मार्च, 2020 को मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में इलिनॉय राज्य की समस्त काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 13 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति ने सभी राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों, जिनमें इलिनॉय शामिल है, को कवर करने वाले रॉबर्ट टी. स्टैफ़र्ड आपदा राहत एवं आपातकालीन सहायता अधिनियम (Robert T. Stafford डिज़ास्टर रिलीफ़ एंड एमरजेंसी असिस्टेंस एक्ट), 42 U.S.C. की धारा 501 (b) 5121-5207 ("स्टैफ़र्ड अधिनियम") के अनुसरण में राष्ट्रव्यापी आपातकाल घोषित कर दिया था; और,

जबकि, 26 मार्च, 2020 को राष्ट्रपति ने स्टैफ़र्ड अधिनियम के अनुभाग 401 के अनुसरण में इलिनॉय में प्रमुख आपदा घोषित कर दी थी; और,

जबकि, 1 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के विस्फोटक फैलाव के कारण, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को एक बार पुनः आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 30 अप्रैल, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के लगातार प्रसार के कारण, अस्पताल शैयाओं, आपातकालीन कक्ष क्षमताओं, और वेंटिलेटरों की कमी के ख़तरे के कारण, और अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, 29 मई, 2020 को, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई हजारों मौतों, मामलों में लगातार वृद्धि, अस्पताल शैयाओं, आपातकालीन कक्ष क्षमताओं और वेंटिलेटरों की कमी का ख़तरा लगातार बने रहने, और पहले से बेहतर पर अभी-भी अपर्याप्त परीक्षण क्षमता के कारण, और विषाणु यानि वायरस के कारण हुए आर्थिक विनाश के कारण, मैंने पुनः इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, CDC की यह सलाह है कि दूसरों के साथ आमने-सामने के संपर्क को सीमित करना कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है, और यह कि सामाजिक दूरी – यानि अन्य लोगों से कम-से-कम 6 फ़ीट दूर रहना, समूहों में एकत्र न होना, और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना – वायरस के प्रसार को धीमा करने के सर्वोत्तम साधनों में से एक है; और,

जबकि, CDC ऐसे सार्वजनिक स्थानों में कपड़े के फ़ेस कवर पहनने की अनुशंसा करता है जहां सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन है; और,

जबकि, CDC कोविड-19 (COVID-19) के प्रसार को धीमा करने के अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण उपायों की अनुशंसा करता है, जैसे बारंबार हाथ धोना, खांसते व छींकते समय नाक व मुंह को ढकना, और बारंबार छुई जाने वाली सतहों की सफाई एवं विसंक्रमण करना; और,

जबकि, इलिनॉय की 101 काउंटियों में कोविड-19 (COVID-19) के पुष्ट मामलों की संख्या 1,17,000 से अधिक है; और,

जबकि, इलिनॉय में कोविड-19 (COVID-19) के कारण 5,200 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं, और कई दिनों 100 से अधिक इलिनॉय वासियों ने वायरस के हाथों जान गंवाई है; और,

जबकि, हालांकि कोविड-19 (COVID-19) के नए मामलों की संख्या हाल के सप्ताह में स्थिर हो गई है और संभावित रूप से घटने लगी है, पर वायरस अभी-भी हजारों लोगों को संक्रमित कर रहा है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में इलिनॉय वासियों की जान ले रहा है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) ने विषम रूप से ऊंची दर पर इलिनॉय के अश्वेत और हिस्पेनिक वासियों की जानें ली हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया है – जिससे स्वास्थ्य विषमताएं एवं असमानताएं उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई हैं; और,

जबकि, जैसे जैसे वायरस इलिनॉय में फैला है, राज्य के सामने संकट का बढ़ना जारी है और एक लगातार विकसित होती प्रतिक्रिया की आवश्यकता है ताकि अस्पताल, स्वास्थ्य कर्मी और प्रथम प्रतिक्रिया देने वाले लोग इलिनॉय के सभी निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करें, और यह लगातार अपडेट होने वाले CDC के मार्गदर्शन के अनुरूप हो; और,

जबकि, हालांकि अस्पताल में भर्तियों की संख्या बेहद हाल ही में स्थिर हो गई है, पर अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता वाले कोविड-19 (COVID-19) रोगियों के उपचार के लिए इलिनॉय में अस्पताल शैया, ICU शैया, और वेंटिलेटरों का उपयोग प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से अधिक है और, यदि मामलों की संख्या में और उछाल आता है, तो राज्य के सामने इन अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों में से एक या अधिक की कमी उत्पन्न हो सकती है; और,

जबकि, राज्य ने COVID-19 से होने वाली मौतों और ICU उपयोग के दो माह के डेटा का विश्लेषण करने और संभावित परिणामों का पता लगाने के लिए अर्बाना-शाम्पेन के इलिनॉय विश्वविद्यालय, नोर्थवेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन, शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो और इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ ही मिकिंसे और मीयर कंसल्टिंग ग्रुप, और सिविस एनालिटिक्स के शीर्ष शोधकर्ताओं के साथ काम किया; और,

जबकि, राज्य के मॉडल ने दर्शाया था कि उसके स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों का उपयोग मई में अपने शिखर पर पहुंच जाएगा, और यह कि स्वास्थ्य देखभाल संसाधन शिखर आ जाने के बाद भी सीमित बने रहेंगे, अब अद्यतित मॉडल यह दर्शाता है कि शिखर आने में संभवतः विलंब हो रहा है, और इसका अंत भाग कई और सप्ताह तक जारी रहेगा; और,

जबकि, राज्य की मॉडलिंग यह दिखाना जारी रखे है कि विस्तृत सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियां रखे बिना, राज्य को अस्पताल के बिस्तर, ICU के बिस्तर या वेंटीलेटर की कमी का सामना होगा; और,

जबकि, 5,200 से भी अधिक इलिनॉय वासियों की त्रासद जनहानि करने एवं दसियों हजार और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विपत्ति बनकर टूटने के अतिरिक्त, कोविड-19 (COVID-19) ने विपुल आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी पूरे राष्ट्र एवं राज्य में उल्लेखनीय संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों के आर्थिक कुशलक्षेम को ख़तरे में डाले हुए है; और,

जबकि, पूरे राष्ट्र में, वैश्विक महामारी के आरंभ से अब तक 4 करोड़ लोग बेरोज़गारी के दावे दायर कर चुके हैं – और यह संख्या अमेरिकी कर्मियों की कुल संख्या की एक-चौथाई है; और,

जबकि, इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एमप्लॉयमेंट सिक्यॉरिटी) ने घोषणा की थी कि अप्रैल में राज्य की बेरोज़गारी दर बढ़कर 16.4% हो गई थी और उस माह 7,62,000 नौकरियां गई थीं; और,

जबकि, लघु व्यवसायों को बंद होने से बचाने के प्रयास में संघीय वेतन संरक्षण कार्यक्रम (पेचैक प्रोटेक्शन प्रोग्राम) के माध्यम से इलिनॉय के 1,80,000 से भी अधिक लघु व्यवसायों को कोविड-19 (COVID-19) संबंधी वित्तीय सहायता के मद में $22 अरब से अधिक की धनराशि दी जा चुकी है; और,

जबकि, कोविड-19 (COVID-19) के कारण हुई आर्थिक हानि एवं असुरक्षा ने व्यवसायों की व्यवहार्यता को और आवास, चिकित्सीय देखभाल, भोजन, एवं निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधनों की सुलभता को ख़तरे में डाला है; और,

इसलिए, इलिनॉय राज्य के गवर्नर के रूप में मुझ में निहित शक्तियों, इलिनॉय के संविधान और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, (Illinois Emergency Management Agency Act) 20 ILCS 3305 की धारा 7 (1), 7 (2), 7 (3), 7 (8), 7 (9), और 7 (12) के अनुसार और लोक स्वास्थ्य कानूनों की शक्तियों के अनुरूप, मैं तुरंत प्रभावी निम्नलिखित आदेश दे रहा हूं:

इलिनॉय की बहाली – हमारे समुदायों का संरक्षण

1. **इस कार्यकारी आदेश का आशय।** इस कार्यकारी आदेश का प्रयोजन उन गतिविधियों को सुरक्षित ढंग से, सतर्कता के साथ और कर्मठतापूर्वक ढंग से बहाल करना है जो कोविड-19 (COVID-19) के मामलों की संख्या में विस्फोट होने और उनके द्वारा हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अभिभूत कर दिए जाने के कारण रुक गई थीं। जब इलिनॉय वासी ये गतिविधियां बहाल करेंगे, तब हमें उस प्रगति को वापस नहीं गंवाना है जो हमने अब तक हासिल की है। हम हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अभिभूत करने का जोख़िम नहीं ले सकते हैं, और हमें इलिनॉय के सभी निवासियों के स्वास्थ्य एवं जीवन को, विशेष रूप से हमारे राज्य के उन निवासियों जो सर्वाधिक अरक्षित हैं, के स्वास्थ्य और जीवन को प्राथमिकता देनी ही है। हम हमारे समुदायों का संरक्षण करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को बहाल करेंगे और वायरस से हुई आर्थिक क्षति की मरम्मत करेंगे। इस कार्यकारी आदेश का प्रयोजन उन लक्ष्यों को प्रभावी करना है।

   यह कार्यकारी आदेश 2020-32 कार्यकारी आदेश 2020-07 की धारा 1 का स्थान लेता है।

2. **व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।** व्यक्तियों को अपने एवं अपने पड़ोसियों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:

   a. **सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं।** उस सीमा तक जबकि व्यक्ति अपने निवास के बाहर होने के दौरान, जिसमें बाहर खुले में होना शामिल है, साझा स्थानों का उपयोग कर रहे हों, उन्हें सारे समय और तर्कसंगतता की अधिकतम संभव सीमा तक, ऐसे हर अन्य व्यक्ति जो उनके साथ नहीं रहता है, से कम-से-कम छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी।

   b. **सार्वजनिक स्थानों पर या काम के स्थान पर चेहरे को ढंकें।**[1] कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु दो वर्ष से अधिक है और जो चिकित्सकीय दृष्टि से चेहरे के ढंकने को सहन कर सकता है (एक मास्क या चेहरे को ढंकने वाला कपड़ा), को लोगों के बीच होने पर और छह फीट की सामाजिक दूरी कायम ना रख पाने पर अपने नाक और मुंह को ढंकना होगा। यह आवश्यकता लागू रहेगी, भले ही व्यक्ति किसी भवन के अंदर के स्थान में हो, जैसे किसी स्टोर में, या किसी सार्वजनिक बाहरी खुले स्थान पर, जहां छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता है।

[1] इस संपूर्ण कार्यकारी आदेश में, फ़ेस कवर पहनने की आवश्यकता के सभी संदर्भों में दो वर्ष एवं इससे छोटे बच्चों को और ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए फ़ेस कवर पहनना चिकित्सीय दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इलिनॉय मानवाधिकार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स) की ओर से फ़ेस कवर के उपयोग के बारे में मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/IDHR_FAQ_for_Businesses_Concerning_Use_of_Face-Coverings_During_COVID-19_Ver_2020511b%20copy.pdf

c. **<u>वृद्ध व्यक्तियों और बीमारी के कारण कमज़ोर हो गए व्यक्तियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए</u>।** जो लोग कोविड-19 (COVID-19) से गंभीर रुग्णता के उच्च जोख़िम में हैं, जिनमें वृद्ध लोग एवं ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से ग्रस्त लोग शामिल हैं जो उन्हें अरक्षित बना सकती है, उनसे आग्रह है कि वे अपने निवास स्थान में ही रहें और दूसरों से व्यक्तिगत संपर्क को अधिकतम संभव सीमा तक घटा दें।

d. **<u>एकत्रण सीमित करें</u>**। दस से अधिक लोगों का कोई भी एकत्रण निषिद्ध है, बशर्ते उसे इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट न मिली हो। इस शासकीय आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी एक घर या निवास के सदस्यों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाता हो। चूंकि व्यक्तिगत संपर्क ही कोविड-19 (COVID-19) के संचार का सबसे बड़ा जोख़िम उत्पन्न करता है, अतः इलिनॉय वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे दूसरों के साथ व्यक्तिगत संपर्क को सीमित करना जारी रखें और अपने सामाजिक संपर्क को बेहद सावधानी के साथ विस्तार दें। दूर रहते हुए एकत्र होना गृहस्थी या निवास स्थान से बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बना हुआ है।

e. **<u>बाहर खुले में जाएं</u>**। सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन यह सुझाव देता है कि भवन में अंदर रहने के विपरीत, बाहर खुले में होने पर कोविड-19 (COVID-19) के संचार का जोख़िम काफ़ी घट जाता है। इलिनॉय वासियों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जहां संभव हो वहां वे अपनी गतिविधियां बाहर खुले में संचालित करें।

3. **<u>व्यवसायों, अलाभ संगठनों, एवं अन्य संगठनों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं।</u>** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, कवर किए गए व्यवसायों में सेवा की प्रकृति, किये जाने वाले कार्य, या कॉर्पोरेट या इकाई संरचना की परवाह किए बिना सभी लाभकारी, गैर-लाभकारी या शैक्षिक संस्था शामिल हैं। इन इकाइयों/संस्थाओं/कंपनियों को अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, और उनके प्रचालनों के भौतिक संपर्क में आने वाले अन्य सभी लोगों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित निम्नलिखित उपाय करने होंगे:

a. **<u>सभी व्यवसायों की जरूरतें</u>**। सभी व्यवसायों को:

- मूल्यांकन करना जारी रखना चाहिए कि कौन से कर्मचारी घर से काम करने में सक्षम हैं, और जब संभव हो घर से दूरस्थ रूप से कार्य की सुविधा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है;
- यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं और जब सामाजिक दूरी हमेशा संभव न हो तब वे फ़ेस कवर पहनें;
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
- यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर आने वाले सभी आगंतुक (ग्राहक, वेंडर, इत्यादि) सामाजिक दूरी व्यवहार में ला सकते हों; पर यदि छः फ़ीट की सामाजिक दूरी बनाए रखना सारे समय संभव नहीं हो, तो उन्हें आगंतुकों को फ़ेस कवर पहनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा; और

- कोविड-19 (COVID-19) आपातस्थिति के दौरान कार्यस्थलीय सुरक्षा के संबंध में इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक हेल्थ, IDPH) और इलिनॉय महान्यायवादी कार्यालय (ऑफ़िस ऑफ़ इलिनॉय अटार्नी जनरल) द्वारा जारी मार्गदर्शन को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।[2]

वाणिज्य एवं आर्थिक अवसर विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स एंड इकॉनमिक अपॉर्चुनिटी, DCEO) ने, IDPH की भागीदारी के साथ, व्यवसायों को सुरक्षित एवं उत्तरदायी ढंग से प्रचालन करने में सहायता देने के लिए उद्योग-विशिष्ट मार्गदर्शन एवं टूलकिट विकसित किए हैं। ये दस्तावेज़ यहां उपलब्ध हैं: https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/RestoreILP3.aspx.

b. **<u>फुटकर दुकानों (रिटेल स्टोर) के लिए आवश्यकताएं।</u>** फुटकर दुकानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर ग्राहकों और अन्य कर्मचारियों से समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- स्टोर में जितने लोगों के खड़े होने की क्षमता हो उसके 50 प्रतिशत तक ही लोगों को आने दें, या, वैकल्पिक रूप से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकॉनॉमिक ऑपोरचुनिटी (Department of Commerce and Economic Opportunity) द्वारा आपके स्टोर के वर्ग फुट के आधार पर निर्धारित की गई सीमा तक;
- इस आदेश में निर्धारित सामाजिक दूरी और चेहरा ढ़ांकने की आवश्यकताओं के बारे में; इन-स्टोर साइनेज और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं और विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों से संवाद करें,और
- पुन: उपयोग में आने वाले बैग का उपयोग बंद करें।

c. **<u>निर्माताओं के लिए जरूरतें।</u>** निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- यह सुनिश्चित करें कि सभी स्थान जहां कर्मचारी एकत्रित हो सकते हैं, जिसमें लॉकर रूम और लंचरूम शामिल हैं, सामाजिक दूरी के लिए अनुमति देते हैं; और
- कोविड-19 (COVID-19) आपातस्थिति की प्रतिक्रिया में सामाजिक दूरी संभव बनाने और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए जिस सीमा तक आवश्यक हो उस सीमा तक प्रचालनों में संशोधन करें एवं उनका आकार घटाएं (शिफ़्ट बांटना, लाइन गति घटाना, केवल आवश्यक लाइनें संचालित करना, और अनावश्यक लाइनें बंद कर देना)।

---

[2] उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/sites/default/files/COVID-19_WorkplaceHealth_SafetyGuidance20200505.pdf

d. **<u>कार्यालय भवनों के लिए आवश्यकताएं।</u>** नियोक्ताओं को कार्यालय भवनों में यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी व्यवहार में लाएं, और उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी, जिनमें ये शामिल हो सकती हैं:

- उन सभी कर्मचारियों को फेस कवरिंग प्रदान करें जो हर समय न्यूनतम छह फुट की सामाजिक दूरी बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं;
- जहां भौतिक स्थान ऐसा हो जिसमें सामाजिक दूरी संभव न हो, तो वहां क्षमता सीमाएं लागू करने पर विचार करें;
- जहां संभव हो वहां दूर-से-कार्य (टेलीवर्क) की अनुमति दें; और
- प्रतीक्षा कमरों, सेवा काउंटरों, और कैफ़ेटेरिया आदि साझा स्थानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एवं संकेत व संदेश तैयार करें और प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

e. **<u>रेस्त्राओं और बार के लिए आवश्यकताएं।</u>** सभी व्यवसाय जो ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग के लिए भोजन या पेय प्रदान करते हैं—जिनमें रेस्तरां, बार, किराने की दुकान, और फ़ूड हॉल के लिए—सेवा निलंबित होनी चाहिए और हो सकता है ऑन-प्रिमाइसेस उपभोग की अनुमति नहीं हो, DCEO मार्गदर्शन द्वारा अनुमति के सिवाय। ऐसे व्यवसायों को भोजन और पेय पदार्थों को परोसने के लिए अनुमति दी जाती है ताकि वे ऑफ़-प्रिमाइसेस का सेवन कर सकें, जैसा कि कानून द्वारा अनुमति है, जैसे कि इन-हाउस डेलिवरी, थर्ड-पार्टी डिलीवरी, ड्राइव-थ्रू और कर्बसाइड पिक-अप। इसके अलावा, ग्राहक ले-जाने के लिए भोजन या पेय पदार्थ खरीदने के लिए परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। हालाँकि, खाद्य पदार्थ वाहक ट्रकों सहित भोजन या पेय पदार्थों की लाने व ले-जाने की पेशकश करने वाले प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक ऐसा वातावरण हो जहां सेवा प्रदाता पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखता है।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हवाई अड्डों, अस्पतालों और डाइनिंग हॉल में स्थित बारों एवं रेस्तोरांओं को इस कार्यकारी आदेश की आवश्यकताओं से छूट दी गई है। होटल के रेस्तरां रूम सर्विस और कैरी-आउट प्रदान करते रह सकते हैं। खानपान सेवाएं जारी रह सकती हैं। स्कूल और अन्य संस्थाएं जो आम तौर पर छात्रों या जनता के सदस्यों को भोजन सेवाएं प्रदान करती हैं, इस कार्यकारी आदेश के तहत इस शर्त पर ऐसा करना जारी रख सकती हैं की छात्रों या आम जनता को केवल पिकअप और टेकअवे के आधार पर ही भोजन प्रदान किया जाएगा।

इस अनुभाग में कवर किए गए सभी व्यवसाय DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में और जब स्थानीय अध्यादेशों एवं विनियमों द्वारा अनुमति हो तब, परिसर के अंदर, भवन से बाहर खुले में खाद्य एवं पेय पदार्थों के उपभोग की अनुमति दे सकते हैं।

f. **<u>फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम के लिए आवश्यकताएं।</u>** फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम निम्नलिखित गतिविधियों के लिए खोले जा सकते हैं, पर उन्हें DCEO के मार्गदर्शन से सुसंगत ढंग से व्यवसाय का संचालन करना होगा: व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र जिनमें एक प्रशिक्षक और एक ग्राहक शामिल हो; अधिकतम 10 लोगों के समूह और सामाजिक

दूरी के साथ बाहर खुले में प्रशिक्षण; फुटकर वस्तुओं की बिक्री; और केवल एक प्रशिक्षक द्वारा संचालित दूरस्थ कक्षाओं का ऑनसाइट फ़िल्मांकन या उनकी स्ट्रीमिंग। फ़िटनेस एवं व्यायाम जिम अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकते हैं, जिनमें सदस्यों के व्यायाम शामिल हैं, क्योंकि जब लोग भवन के अंदर के स्थानों में साथ में व्यायाम करते हैं और उपकरण साझा करते हैं तो कोविड-19 (COVID-19) के संचार का जोख़िम बढ़ जाता है।

g. <u>**व्यक्तिगत सेवा इकाइयों के लिए आवश्यकताएं।**</u> व्यक्तिगत सेवा इकाइयां, जैसे स्पा, हेयर सैलॉन, नाई की दुकानें, नेल सैलॉन, वैक्सिंग केंद्र, टैटू पार्लर, एवं ऐसी ही अन्य इकाइयां खोली जा सकती हैं पर उन्हें DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में फ़ेस कवर का उपयोग, सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन, और क्षमता सीमाओं का उपयोग सुनिश्चित करना होगा।

h. <u>**बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों के लिए आवश्यकताएं।**</u> बाहर खुले में मनबहलाव, युवा दिवसीय शिविरों (डे कैम्प), और युवा खेलों की सेवाएं देने वाले व्यवसाय खोले जा सकते हैं पर उन्हें फ़ेस कवर के उपयोग एवं सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करना होगा और DCEO के मार्गदर्शन के अनुसरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य कदमों का पालन करना होगा।

i. <u>**जन कौतुक (एम्यूज़मेंट) के स्थान।**</u> इस कार्यकारी आदेश द्वारा या DCEO मार्गदर्शन द्वारा यथा अनुमन्य को छोड़कर, जन कौतुक (एम्यूज़मेंट) के स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। जन कौतुक (एम्यूज़मेंट) के स्थानों में एम्यूज़मेंट राइड वाले स्थान, उत्सव (कार्निवल), एम्यूज़मेंट पार्क, वॉटर पार्क, जलजीवशालाएं (एक्वारियम), चिड़ियाघर, संग्रहालय, आर्केड, मेले, बच्चों के खेलने के केंद्र, खेल के मैदान, थीम पार्क, बोलिंग एली, फ़िल्म एवं अन्य थिएटर, और कन्सर्ट एवं म्यूज़िक हॉल शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। जन कौतुक (एम्यूज़मेंट) के स्थान, अन्य व्यवसायों की भांति, निम्नलिखित करना जारी रख सकते हैं:

   i. व्यवसाय के भौतिक संयंत्र और उपकरणों की स्थिति को बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रक्रिया पेरोल और कर्मचारी लाभ, या संबंधित कार्यों के लिए व्यवसाय की सूची के मूल्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक गतिविधियां करें।

   ii. व्यवसाय के कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें जो दूर से काम करना जारी रखने में सक्षम हैं।

   iii. पिक-अप या डिलीवरी के माध्यम से ऑनलाइन एवं टेलीफोनिक फुटकर ऑर्डर पूरे करना।

4. <u>**अपवाद।**</u>

a. <u>**मुक्त धर्मपालन।**</u> यह कार्यकारी आदेश मुक्त धर्मपालन को सीमित नहीं करता है। धार्मिक नेताओं, कर्मचारियों, धार्मिक समाज/सभा के सदस्यों/भक्तगणों, और आगंतुकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के संरक्षण के लिए, धार्मिक संगठनों एवं उपासना गृहों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इलिनॉय जन स्वास्थ्य विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ पब्लिक

हेल्थ) से परामर्श करें और विभाग द्वारा अनुशंसित परिपाटियों एवं दिशानिर्देशों का पालन करें।[3] जैसा कि IDPH दिशानिर्देशों में वर्णित है, इस समय धार्मिक संगठनों के लिए सबसे सुरक्षित परिपाटी यही है कि वे अपनी सेवाएं ऑनलाइन, ड्राइव-इन प्रारूप में, या बाहर खुले में (तथा सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं और फ़ेस कवर पहनने से संबंधित मार्गदर्शन की अनुरूपता में) प्रदान करें, और भवन के अंदर की सेवाओं को 10 लोगों पर सीमित करें। धार्मिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सामाजिक दूरी, फ़ेस कवर के उपयोग, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्य उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कदम उठाएं।

b. **<u>आपातकालीन कार्य।</u>** सभी प्रथम उत्तरदाता, आपातकालीन प्रबंधन कर्मी, आपातकालीन डिस्पैचर, न्यायालय कर्मी, कानून प्रवर्तन और सुधार कर्मी, खतरनाक सामग्री उत्तरदाता, बाल संरक्षण और बाल कल्याण कर्मी, आवास और आश्रय कर्मी, सैन्य, आपातकालीन प्रतिक्रिया को सपोर्ट करने वाले अन्य सरकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से इस कार्यकारी आदेश द्वारा छूट दी गई है, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखने और सिफारिश किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

c. **<u>सरकारी कार्य।</u>** यह कार्यकारी आदेश संयुक्त राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है और उन सभी सेवाओं को प्रभावित नहीं करता है जो राज्य या किसी भी नगर निगम, टाउनशिप, काउंटी, उपखंड या सरकार की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती हैं और सरकारी एजेंसियों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने या जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने या समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

5. **<u>सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवरिंग, और PPE आवश्यकताएँ</u>।** इस कार्यकारी आदेश के प्रयोजनों के लिए, समाजी दूरी में अन्य व्यक्तियों से कम से कम छह फुट की दूरी बनाए रखना, कम से कम बीस सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना या जितनी बार संभव हो, हाथ सैनिटाइज़र का उपयोग करना, खांसी या छींक को कवर करना (आस्तीन या कोहनी से, हाथों से नहीं), नियमित रूप से उच्च स्पर्श सतहों की सफाई, और हाथ नहीं मिलाना है।

a. **<u>आवश्यक उपाय।</u>** व्यवसायों को सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अग्रसक्रिय उपाय करने होंगे, जिनमें, जहां संभव हो वहां, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **<u>छह फुट की दूरी</u>** उचित दूरी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए साइनेज, टेप या अन्य माध्यमों से छह फुट की दूरी;

ii. **<u>हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद</u>** कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आसानी से उपलब्ध हैंड सैनेटाइजर्स और सैनेटाइज उत्पाद

iii. **<u>अतिसंवेदनशील आबादी के लिए अलग परिचालन घंटे</u>** बुजुर्गों और अतिसंवेदनशील ग्राहकों के लिए अलग परिचालन घंटे लागू करना;

[3] उक्त मार्गदर्शन यहां उपलब्ध है: https://www.dph.illinois.gov/covid19/community-guidance/places-worship-guidance

iv. **<u>ऑनलाइन और रिमोट एक्सेस</u>** ऑनलाइन पोस्ट करना कि क्या एक सुविधा सार्वजनिक खुली है और सुविधा तक पहुंचने के लिए और फोन या रिमोट द्वारा सेवाएं जारी रखना कितना सर्वश्रेष्ठ है; और

v. **<u>फेस कवरिंग और PPE</u>.** कर्मचारियों को उचित फेस कवरिंग के साथ प्रदान करना और जहां हर समय छह फुट की सामाजिक दूर ी बनाए रखना संभव नहीं है, वहाँ यह आवश्यक है कि कर्मचारी फेस कवरिंग पहनें। काम की परिस्थितियों के अनुसार फेस कवरिंग के अलावा अन्य PPE कर्मचारियों को प्रदान करना।

6. **<u>लागू करना</u>**। इलिनोइस आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305 की धारा 7, धारा 15, धारा 18 धारा 19 और, *अन्य बातों के साथ*, यह कार्यकारी आदेश राज्य और स्थानीय कानून प्रवर्तन द्वारा लागू किया जाऐगा।

व्यवसायों को तीसरे चरण के दौरान सुरक्षा उपायों के बारे में इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक ऑपर्चुनिटी,और इलिनोइस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में इलिनोइस अटॉर्नी जनरल के क ार्यालय द्वारा दिए गए या प्रकाशित किए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। व्हिसलब्लोअर एक्ट की धारा 25 (बी), 740 ILCS 174 के अनुसार, व्यवसायों को जानकारी का खुलासा करने के लिए कर्मचारी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से प्रतिबंधित किया जाता है, जहां कर्मचारी के पास यह मानने का उचित कारण है कि उक्त जानकारी इस आदेश का उल्लंघन है।

7. **<u>अधिकार पर कोई सीमा नहीं</u>** इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं, जो किसी भी तरह से, राज्य या किसी भी काउंटी, या स्थानीय सरकारी निकाय को आदेश देने (1) किसी भी संगरोध या अलग रखने की अनुमति देने वाले किसी भी मौजूदा कानूनी अधिकार में परिवर्तन या संशोधन करेगा, बस इसे इस लोक स्वास्थ्य आपातकाल की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी विशेष आवासीय क्षेत्र या चिकित्सा परिक्षेत्र के अंदर रहने के लिए निर्देशित करने की आवश्यकता हो सकती है या, (2) आपातकालीन लोक स्वास्थ्य की अवधि समेत सीमित अवधि के लिए बंद करने या किसी विशिष्ट स्थान में जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस कार्यकारी आदेश में निहित किसी भी बात का अर्थ किसी संगरोध (क्वॉरन्टीन), पृथकवास (आइसोलेशन), या बंदी का आदेश देने के किसी भी प्राधिकार के उपयोग के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से, किसी भी मौजूदा कानूनी प्राधिकरण को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है जो काउंटी या स्थानीय सरकारी निकाय को उन प्रावधानों को लागू करने की अनुमति देता है जो इस कार्यकारी आदेश में उन लोगों की तुलना में सख्त हैं।

8. **<u>बचत खंड (सेविंग्स क्लॉज़)</u>**। यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के आवेदन को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या प्रभाव के दिया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को गंभीर घोषित किया गया है। इस कार्यकारी आदेश के संबंध मे ं यह कार्यकारी आदेश का आशय किसी भी न्यायालय के आदेश के साथ पढ़ा जाना है।

____

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल (गवर्नर) द्वारा 29 मई, 2020 को जारी
राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) द्वारा 29 मई, 2020 को दायर